

आवास बन्धु

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ०प्र०षासन



प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2284880, 2627021,
फैक्स: 0522-2612098
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website: http://www.awas.up.nic.in

Decmi.ec

3/7/18

पत्र संख्या: 2882 / आ.ब.-1 / प्रभारी निदेशक / 2018-19 दिनांक 02, जुलाई, 2018
प्रेषक,

नीति द्विवेदी
प्रभारी निदेशक
आवास बन्धु उ० प्र०

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्न्तगत आर्थिक द्रष्टि से दुर्बल आय वर्ग हेतु
भवनों का निर्माण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 143 / मु०वि०प्रा० / अधि० / 18 दिनांक:-22.5.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आप द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्न्तगत पूर्व स्वीकृत 1008 भवनों की परियोजना में बिल्डिंग प्लान, कलस्टर प्लान आदि में संशोधन किये जाने हेतु वांछित आदेश प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि ई. डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाईयों का न्यूनतम कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर एवं अधिकतम कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर तक निर्धारित है निर्धारित कारपेट एरिया की सीमान्तर्गत, उदाहरणार्थ, पूर्व में भेजे गये टिपिकल यूनिट प्लान से भिन्न प्लान भी क्रियान्वित किया जा सकेगा। दिनांक 17.5.2018 को विकास प्राधिकरणो कि मासिक समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया गया था कि पूर्व में भवन निर्माण हेतु आमंत्रित निविदाओं में भी संशोधित डिजाईन के अनुसार कार्य कराया जा सकेगा। कृपया तदानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भावदीय,

Niti Dwivedi

(नीति द्विवेदी)

प्रभारी निदेशक